


367




न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण R 4327-III/14

दिनांक 29-12-14
को श्री शश्वत कं काज्यपी
काहिं द्वारा प्रस्तुत।



29-12-14

चन्द्रशेखर पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल
निवासी-वार्ड नं.-7, प्रेस कॉलोनी शहडोल
तहसील एवं जिला-शहडोल

विरुद्ध

1. भारतसंघ, मण्डल अभियंता (उत्तर)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ.ग.)
2. सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, शहडोल
तहसील व जिला-शहडोल

तहसीलदार सोहागपुर जिला-शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959.


29-12-14

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है-

1. यह कि, तहसील न्यायालय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, आवेदक ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16-07-2001 द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम-शहडोल की भूमि सर्वे क्रमांक-27 क्षेत्रफल 0.664



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-4327-तीन/2014

जिला-शहडोल

चन्द्रशेखर विरुद्ध भारत संघ मण्डल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी तहसीलदार सोहागपुर, जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 53/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 03-04-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीअधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य</p>